सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या– 241/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त एवं
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2020**

विषयः कोविड–19 के कारण लाकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–202/एक–11–2020 दिनांक 27.03.2020, पत्र संख्या–205/एक–11–2020–4(जी)/2015 दिनांक 29.03.2020 तथा पत्र संख्या–207/एक–11–2020 दिनांक 30.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने एवं इनमें पर्याप्त भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ शौचालय, समुचित साफ–सफाई तथा इनमें रखे गये व्यक्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने व पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. कोविड–19 के संक्रमण को रोकने हेतु cluster containment operations के दृष्टिगत क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में लॉक डाउन की अवधि समाप्ति पर दूसरे प्रदेशों तथा अन्य जनपदों से लोगों के आने की प्रबल संभावना है। इस संभावित स्थिति के दृष्टिगत उसका मूल्यांकन करते हुए अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ा दी जाय। नये अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल जनपद के ऐसे बड़े कालेजों/विद्यालयों, मैरिज हॉल्स हो सकते हैं, जो क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों को रखने तथा उनके लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ शौचालय तथा परिसर की समुचित साफ–सफाई के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों।

3. अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों से संबंधित कतिपय जनपदों से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हो रही हैः–

(1) अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में क्षमता से अधिक व्यक्तियों को रखा गया है उदाहरणार्थ 50 व्यक्तियों के लिये स्थल उपयुक्त होने पर

Scanned with CamScanner

उसकी जगह 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को रखा गया है और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है।

(2) पर्याप्त व गुणवत्ता परक भोजन नहीं दिया जा रहा है।

(3) समय से भोजन नहीं दिया जा रहा है।

(4) अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिये लोग उसे छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं।

(5) भोजन बाहर से मंगाकर खिलाया जा रहा है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में सायं को 7 से 8 के मध्य एवं सुबह 9 से 11 के मध्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाये। जिलाधिकारी अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में स्वयं जाकर निरीक्षण कर लें एवं इनमें पायी गयी कमियों को तुरन्त दूर किया जाये। कोविड–19 की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थाई आश्रय स्थल/क्वारंटाइन कैम्पस् संचालित करने हेतु राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–165/एक–10– 2020–33(221)/2011टी.सी.–2, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 द्वारा पूर्व में ही जनपदों को पर्याप्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

भवदीया,

05/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner